# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः**–जीसीएमएस नं. **2021/106**

1. रेवड सिंह राजावत पुत्र श्री सवाई सिंह राजावत निवासी ग्राम खोरकिला पोस्ट कोलवा थाना कोलवा तहसील व जिला दौसा।

––अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 18 भास्त्र अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/7754 दिनांक 06.11.2020 जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञापत्र (आर्म्स लाईसेन्स) को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया।**

उपस्थितिः–

1. **श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

**निर्णय**

**दिनांकः 12.12.2023**

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 से असंतुष्ट होकर शस्त्र अनुज्ञापत्र 1959 के अन्तर्गत धारा 18 के तहत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के साथ दिनांक 15.04.2021 को प्रस्तुत की गई।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रेवड सिंह राजावत पुत्र श्री सवाई सिंह राजावत द्वारा भास्त्र अनुज्ञप्ति संख्या (लाईसेन्स नम्बर) डी.एम.डी.–48 दिनांक 13.07.1992 अवसान की तारीख 31.12.2019 वैधता आल राजस्थान राज्य के नवीनीकरण हेतु दिनांक 28.11.2019 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 06.11.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक दौसा की अनुशंषा के आधार पर लाईसेन्सी श्री रेवड सिंह राजावत पुत्र श्री सवाई सिंह राजावत निवासी खोर्राकला पोस्ट कालोता थाना कोलवा जिला दौसा को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या DM/DSA/RN-18/P.S. कोलवा को कार्यालय रिकार्ड में जमा किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं.0 27011/92 एवं कारतूसों को पुलिस थाना कोलवा के शस्त्रगार में जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 06.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रेवड सिंह राजावत पुत्र श्री सवाईसिंह राजावत निवासी खोर्राकला पोस्ट कालोता थाना कोलवा जिला

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दौसा द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 06.11.2020 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्याायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या (लाईसेन्स नम्बर) डी. एम.डी–48 दिनांक 13.07.1992 अवसान की तारीख 31.12.19 वैधता आल राजस्थान राज्य के नवीनीकरण हेतु दिनांक 28.1.2019 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार जांच कर चालान संख्याा 355/3082 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण शुल्क राशि 1500 (पन्द्रह सौ) रूप्ये तथा रसीद संख्या 35512632 के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 500 (पांच सौ) रूपये राजकोष में जाकर थानाधिकारी से गृह विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित परिशिष्ट संख्या 26 में अनुज्ञापत्र में दर्ज आर्म्स का भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2019/12367 दिनांक 2.12.2019 को जरिये तलब किये जाने के आदेश किये गये। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के आदेश दिनांक 02.12.2019 की अनुपालना में थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 99 दिनांक 14.01.2020 द्वारा आर्म्स का भौतिक निरीक्षण कर वल्दीयत/कौमियत शकुनत सही पाई गई। मौतविरान से बयान लेखबद्ध करना चाहा मगर सभी लोगो ने बयान देने से मना किया एवं पूछताछ पर दोनों भाई रेवडसिंह वव रघुवीर के बीच जमीन बंटवारे एवं अनय मारमीट में मामलों में विवाद चलना बताया आवेदक के खिलाफ मुकदमा नम्बर 161/17 चार्जशीट नम्बर 02/2018 धारा 454, 436, 427 भा.द.सं. दिनांक 7.11.2018 व मुकदमा नम्बर 132/18 चार्जशीट नम्बर 148/12 धारा 323, 341, 325 भा.द.सं. दिनांक 29.11.2018 एवं मुकदमा नम्बर 148/17 चार्जशीट नम्बर 147/17 धारा 323, 341 भा.द.सं. दिनांक 29.10.2017 को की जाकर न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा के पत्र क्रमांक 99 दिनांक 14.10.2020 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक दौसा से जरिये पत्र क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2020/1066 दिनांक 4.2.2020 द्वारा लाईसेन्सी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या डी.एम./डी.एस.ए./आर.एन. –18/पी.एस. कोलवाा को आगामी नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट मय अभिशंषा भिजवाने हेतु प्रेषित किया। जिसकी अनुपालना में पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा अपने पत्र क्रमांक दौसा/जि.वि. शा/शस्त्र/2020/5443 दिनांक 3.6.2020 द्वारा लाईसेन्सी के विरूद्ध दर्ज उपरोक्त वर्णित मुकदमें न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात भी उपरोक्त तथ्यों की जांच किये बिना ही तथ्यों को छुपाते हुये लाईसेन्सी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमों को न्यायालय में विचाराधीन होना अंकित करते हुये शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने की अभिशंशा नहीं किये जाने की रिपोर्ट की। उपरोक्त अभिशंषा रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक दौसा प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 8.7.2020 एवं 28.10.2020 को आवेदन प्राप्त कर पुलिस थानाधिकारी कोलवा एवं पुलिस अधीक्षक दौसा की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित मुकदमों को न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाकर अपीलार्थी को

माननीय

दोषमुक्त घोषित किये जाने के निर्णय की फोटो प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने के पश्चात भी दिनांक 06.11.2020 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञा पत्र को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2020 एवं 05.01.2021 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त दर्ज मुकदमों में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने के आदेशों का अवलोकन कर पुनः अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी कार्यालय टिप्पणी में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 2.3.2021 को पारित कर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट के अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित होते हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुख्य आधार अनुज्ञाधारी के विरूद्ध मुकदमें दर्ज होना एवं पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा अनुशंषा नहीं किया जाना अंकित किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 8.7.2020 एवं 28.10.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा अंकित मुकदमों में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी को दोशमुक्त किये जाने का आदेश पारित करने के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संबंधी कोई मुकदमा नहीं होना अवगत करवाने के पश्चात भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। शस्त्र अधिनियम 1959 संशोधित 2010 एवं 2012 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने हेतु जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उन शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किये जाने के उपरान्त भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी एक संभ्रात परिवार का प्रतिष्ठित रिटायर्ड फौजी अधिकारी है। जिसको अपनी जान माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अतिआवश्यक है। यदि अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया गया तो अपीलार्थी के न्यायिक अधिकारों का कुठाराधात होगा साथ ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का मकसद फौत हो जायेगा। अपीलार्थी को जान माल के नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 06.11.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या डी.एम./डी. एस.ए./आर.एन.18/पी.एस. कोलवा को नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 06.11.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक दौसा की अनुशंषा के आधार पर लाईसेन्सी श्री रेवड सिंह राजावत पुत्र श्री सवाईसिंह राजावत निवासी खोर्राकला पोस्ट कालोता थाना कोलवा जिला दौसा को जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या DM/DSA/RN-18/P.S. कोलवा को कार्यालय रिकार्ड में जमा किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं.0 27011/92 एवं कारतूसों को पुलिस थाना कोलवा के शस्त्रगार में जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत् रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुख्य आधार अनुज्ञाधारी के विरूद्ध मुकदमें दर्ज होना एवं पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा अनुशंषा नहीं किया जाना अंकित किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2020 एवं दिनांक 28.10.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा अंकित मुकदमों में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी श्री रेवड सिंह राजावत को दोषमुक्त किये जाने का आदेश पारित करने के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र संबंधी कोई मुकदमा नहीं होना अवगत करवाने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।